A 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान

आई.ए.एस.

अपील संख्या 65/2021

मानसिंह पुत्र श्योनारायण सिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी हमीरवास, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सूरजगढ़, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान।

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धा. 225 आरटी ए 1955 खिलाफ आदेश दिनांक 30.07.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ बउनवानी प्रकरण सरकार बनाम मानसिह मु.न. 67/2021

उपस्थित:–

1. श्री हवासिंह चौहान, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.11.2021

उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 30.07.2021 के विरुद्ध मय धारा दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य अपील निम्न प्रकार से है :– ग्राम हमीरवास तन अगवाना खुर्द में भूमि खसरानम्बर 4 रकबा 0.25 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता बाबत दिनांक 28.07.2021 को हल्का पटवारी अगवाना खुर्द की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को उक्त रास्ते पर अतिक्रमी मानते हुये योग्य अदालत मातहत ने हस्तगत आलोच्य आदेश दिनांक 30.07.2021 को पारित किया है। अदालत मातहत (न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ) द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 खिलाफ कानून, न्याय, एवं मनमाना एवं पत्रावली के है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजो का विधिपूर्वक अवलोकन किये बिना ही मनमाने ढंग से बिना ही कानूनी प्रोसेस अडोप्ट किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ दिनांक 30.07.2021 को आदेश पारित किया है। ग्राम हमीरवास की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1, 2, 3, 11, 12 कुल रकबा 10.57 हैक्टर स्थित है जिसमें अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों की काश्तकारी व खातेदारी है। सभी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त खसरान भूमि में भी कोई खातेदारी दर्ज नही है। बावजूद इसके खसरा नम्बर 3 के बीचो–बीच खसरा नम्बर 4 रकबा 0.25 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता की बाबत अन्तर्गत धारा 91 आरटीए का नोटिस दिया जाना न्याय संगत नही है क्योकि कदीम से खसरा नम्बर 3 की उत्तरी सीमा के सहारे – सहारे ग्राम अगवाना खुर्द से तोलासेही होते हुये जाने वाला रास्ता प्रचलित है व चालू है। जिस पर कदीम से ही लोगो का आना जाना रहा है और उपयोग उपभोग होता रहा है। जिस पर सन 2000 में ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द द्वारा मनरेगा के तहत काम करवाया गया था तथा वर्तमान में पीएमजेएसवाई योजनान्तर्गत सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। मिट्‌टी व पत्थर के डबोरे डालकर फाउण्डेशन तैयार हो चुका है केवल डामरीकरण होना है। इसलिये खसरा नम्बर 4 की भूमि बाबत अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना विधि व तथ्यो के विरूद्ध है महज गांव की राजनैतिक व रंजिश व पार्टीबाजी के कारण तहसीलदार सूरजगढ से मिलकर अपीलान्ट के विरूद्ध परेशान व हैरान करने के लिये ये आलोच्य आदेश पारीत किया

A-4/2

गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मन्जूर की जाकर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 को न्यायहित में खारिज फरमाया जाने के आदेश पारित किये जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि ग्राम हमीरवास तन अगवाना खुर्द में भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 0.25 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता बाबत दिनांक 25.07.2021 को हल्का पटवारी अगवाना खुर्द की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को उक्त रास्ते पर अतिक्रमी मानते हुये आदेश दिनांक 30.07.2021 खिलाफ कानून, न्याय, एवं मनमाना एवं पत्रावली के पारित किया है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजो का विधिपूर्वक अवलोकन किये बिना ही मनमाने ढंग से बिना ही कानूनी प्रोशेस अडोप्ट किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ दिनांक 30.07.2021 को आदेश पारित किया है। ग्राम हमीरवास की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1, 2, 3, 11, 12 कुल रकबा 10.57 हैक्टर स्थित है जिसमे अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों की काश्तकारी व खातेदारी है। सभी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। सभी की उक्त खसरान भूमि में भी कोई खातेदारी दर्ज नही है। बावजूद इसके खसरा नम्बर 3 के बीचो–बीच खसरा नम्बर 4 रकबा 0.25 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता की बाबत अन्तर्गत धारा 91 आरटीए का नोटिस दिया जाना न्याय संगत नही है क्योकि कदीम से खसरा नम्बर 3 की उत्तरी सीमा के सहारे – सहारे ग्राम अगवाना खुर्द से तोलासेही होते हुये जाने वाला रास्ता प्रचलित है व चालू है। जिस पर कदीम से ही लोगो का आना जाना रहा है। और उपयोग उपभोग होता रहा है। जिस पर सन 2000 में ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द द्वारा मनरेगा के तहत काम करवाया गया था तथा वर्तमान में पीएमजेएसवाई योजनान्तर्गत सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। मिट्टी व पत्थर के डबोरे डालकर फाउण्डेशन तैयार हो चुका है केवल डामरीकरण होना है। इसलिये खसरा नम्बर 4 की भूमि बाबत अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना विधि व तथ्यो के विरूद्ध है महज गांव की राजनैतिक व रंजिश व पार्टीबाजी के कारण तहसीलदार सुजानगढ से मिलकर अपीलान्ट के विरूद्ध परेशान व हैरान करने के लिये ये आलोच्य आदेश पारीत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट मन्जूर की जाकर आदेश दिनांक 30.07.2021 को खारिज फरमाया जाने के आदेश पारित किये जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम हमीरवास स्थित विवादित भूमि ख0न0 4 रकबा 0.25 है0 जिसकी किस्म गै0मु0 रास्ता है जिसमे से 0.04 है0 भूमि पर जुताई कर अतिक्रमण करने का अपीलान्ट को कोई हक नही है। उक्त भूमि सरकारी भूमि है। मौके पर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 30.07.2021 की पालना में रास्ता खोला जा चुका है। अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने मौजा हमीरवास की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 4 के कुल रकबा 0.25 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से रकबा 0.04 हैक्टर पर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है। प्रकरण के अहम तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 30.07.2021 को पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 08.09.2021 को प्रस्तुत की है। इस संबंध में अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. में अंकित किया है कि अपीलान्ट को आदेश की जानकारी दिनांक 05.09.2021 को पटवारी हल्का द्वारा कब्जा हटाने के लिए कहा तब हुई तथा नकल प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के यहां दिनांक 30.07.2021 को स्वयं उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर पैरवी की गई है। इससे साफ है कि अपीलान्ट को आदेश की जानकारी हमेशा से रही है। इसके बावजूद अपीलान्ट द्वारा अपील के निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत की गई है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण

A-4/3

पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर किया जाना न्यायोचित होता है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. स्वीकार कर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में कि गई देरी को कन्डोन किया जाता है।

2. अदालत मातहत ने अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 4 पर अतिक्रमी माना है। भूमि खसरा नम्बर 4 की किस्म गैर मुमकीन रास्ता है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट द्वारा प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण किया है, जिसे वैध नही माना जा सकता है। अपीलान्ट ने अपने कब्जे की बाबत कोई स्पष्ट तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा मौके से अतिक्रमण हटाकर काश्त किये गये मूंगफली व बाजरा की फसल की निलामी कर दी गई है।

3. अपीलान्ट का तर्क है कि खसरा नम्बर 3 की उत्तरी सीमा के सहारे – सहारे ग्राम अगवाना खुर्द से तोला सेही होते हुये जाने वाला रास्ता प्रचलित है व चालु है। जिसपर ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत काम करवाया गया था तथा वर्तमान में पीएमजेएसवाई के तहत सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर ग्राम पंचायत या अन्य एजेन्सी द्वारा उसके खेत खसरा नम्बर 3 से रास्ता बनाने की कोशिश की गई थी तो अपीलान्ट को उसी वक्त रोकना चाहिए था। इस संबंध में अपीलान्ट सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

15/11/2

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू